

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
सैक्टर 30 चण्डीगढ़ 160030
केन्द्रीय भण्डार

सं. सीएसआइओ / 5(8)2018-19/स्टोर / समिति

दिनांक : 29.10.2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Revised Constitution of Standing Disposal Committee .

After Completion of Tenure of earlier Constituted vide OM of even dated 10.05.2018, Director CSIO had been pleased to accord approval to the Constitution of afresh Standing Disposal Committee comprising of following staff members:-

1. Dr. Sanjeev Verma, Sr. Principal Scientist	Chairman
2. Smt. Shashi Sharma, Principal Tech Officer	Member
3. Dr Babban Kumar, Principal Scientist	Member
4. Sh. Sandeep Kumar, Assistant Engineer (/Electrical)	Member
5. FAO/S.O(F&A) in absence of F&AO	Member
6. AO /S.O(G) in absence of AO	Member
7. S.P.O/ S.O (S&P) in absence of SPO	Member
8. Section Officer (Stores)	Convener


In absence of Chairman, the senior most Scientist / Technical officer shall act as chairman.

The terms of Reference of the above committee will be as under:-

- To inspect the material that are proposed to be declare as surplus obsolete and unserviceable, etc. By the HOD's and decide whether the stores are surplus as the case may be.
- To decide the mode of disposal.
- To fix the reserve price for the disposal of items and also ensure that the items are as per the disposal list.
- Proposal duly certified by Technical committee will be considered by SDC for disposal list.
- SDC may appoint a Technical Sub Committee for taking the account the stipulated life period of each item, overall condition of the items, reasons for obsolescence, requirement of such items in future etc.

The presence of the entire member in the meeting is compulsory but in exceptional case the case the quorum will be minimum of 50% of member(s) with the provision that in case of dissent by any member the proceedings of the committee will be referred to the Director whose decision will be final.

The tenure of the committee will be from 1.11.2020 for two years or till further order. The tenure of committee will be curtailed or extended with the approval of the Director.


(Ravi Garg)

Section Officer (Stores)

Copy to:

1. PS to Director for information please
2. PS to CoA for information please
3. PS to Sr. CoFA for information please
4. Chairman / All members of the committee
5. Notice Board
6. Incharge ISD- with a request to upload the same on CSIO intranet.

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
सैक्टर 30 चण्डीगढ़ 160030
केन्द्रीय भण्डार

सं. सीएसआइओ/5(8)2018-19/स्टोर/समिति

दिनांक : 29.10.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : स्थायी निपटान समिति का गठन।

निदेशक, सीएसआइओ ने दिनांक 10.05.2018 को गठित स्थायी निपटान समिति का कार्यकाल पूरा होने पर निम्नानुसार नई स्थायी निपटान समिति के गठन पर स्वीकृति प्रदान की है :

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | डॉ. संजीव वर्मा, वरिष्ठ प्रिंसिपल वैज्ञानिक | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती शशि शर्मा, प्रिंसिपल तकनीकी अधिकारी | सदस्य |
| 3. | डॉ. बब्बन कुमार, प्रिंसिपल वैज्ञानिक | सदस्य |
| 4. | श्री संदीप कुमार, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) | सदस्य |
| 5. | वित्त एवं लेखा अधिकारी
उनकी अनुपस्थिति में अनुभाग अधिकारी (वि. एवं लेखा) | सदस्य |
| 6. | प्रशासनिक अधिकारी
उनकी अनुपस्थिति में अनुभाग अधिकारी (सामान्य अनुभाग) | सदस्य |
| 7. | भंडार एवं क्रय अधिकारी
उनकी अनुपस्थिति में अनुभाग अधिकारी (भंडार एवं क्रय) | सदस्य |
| 8. | अनुभाग अधिकारी (भंडार)
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगे। | संयोजक |

समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी :

1. विभाग प्रमुख द्वारा प्रस्तावित सर्विस न की जा सकने वाली, अप्रचलित, अधिशेष सामग्री का निरीक्षण करना तथा सामग्री के अधिशेष होने अथवा जैसा भी मामला हो, पर निर्णय लेना।
2. निपटान की प्रक्रिया पर निर्णय देना
3. सामान के निपटान के लिए उनकी रिज़र्व कीमत तय करना तथा सुनिश्चित करना कि सामग्री निपटान सूची के अनुरूप है
4. प्रस्ताव पर तकनीकी समिति के विधिवत् अनुप्रमाणन के बाद स्थायी निपटान समिति इस निपटान सूची में डालने के लिए विचार करेगी।
5. स्थायी निपटान समिति प्रत्येक वस्तु के नियत जीवनकाल, उसकी संपूर्ण स्थिति, वस्तु के अप्रचलित होने के कारण, इस प्रकार की वस्तुओं की भविष्य में जरूरत आदि के निर्धारण के लिए एक तकनीकी उप-समिति का गठन करेगी।

समिति की बैठक हेतु समस्त सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, किंतु अपवाद की स्थिति में बैठक का कोरम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा, बशर्ते कि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो। असहमति की स्थिति में समिति की कार्यवाही की रिपोर्ट निदेशक, सीएसआइओ के पास भेजी जाएगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त समिति का कार्यकाल 1 नवम्बर, 2020 से दो वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक के लिए होगा। समिति का कार्यकाल निदेशक के अनुमोदन से घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

रवि
29/10/2020
(रवि गर्ग)

अनुभाग अधिकारी(भण्डार)

प्रति :

1. निजी सचिव, निदेशक
2. समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य
3. समस्त अनुभाग/प्रभाग प्रमुख
4. सूचना पट्ट
5. वैज्ञानिक प्रभारी, आईएसडी – सीएसआइओ इंटरनेट पर डलवाने हेतु